

जिला खनन कार्यालय, नवादा।

पत्रांक... 225/ख0,

प्रेषक,

खनिज विकास पदाधिकारी,
नवादा।

सेवा में,

HANS INDIAN KENDRA,
Prop.- Raju Raj,
S/o.- Rameshwar Prasad,
At.- Bardaha, P.O.- Manjhauri,
P.S.- Sirdala, Dist.- Nawada, Bihar- 805127.
minirex2017@gmail.com
9931615087

नवादा, दिनांक 10/3/2023.

विषय :- नवादा जिलान्तर्गत BLOCK-28 (BARGAON SAND GHAT) की आगामी पाँच वर्षों के लिए बन्दोबस्ती हेतु दिनांक- 16.02.2023 को सम्पन्न ई-नीलामी में एकल सफल निविदादाता घोषित होने के फलस्वरूप सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक नवादा जिलान्तर्गत BLOCK-28(BARGAON SAND GHAT), रकवा- 52.00 हेक्टेयर की आगामी पाँच वर्षों के लिए बन्दोबस्ती हेतु दिनांक- 16.02.2023 को सम्पन्न ई-नीलामी में निर्धारित मो0- 4,68,00,000/- (चार करोड़ अड़सठ लाख) रू0 के विरुद्ध आपके द्वारा मो0- 5,14,80,000 /- (पाँच करोड़ चौदह लाख अस्सी हजार) रू0 की बोली लगाई गई है, फलस्वरूप आप एकल सफल निविदादाता घोषित हुए हैं। निविदा दस्तावेज की कंडिका- 20 (i) के आलोक में आपके द्वारा नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि (जमा अग्रधन राशि समायोजनोपरान्त) प्रतिभूति जमा के रूप में मो0- 11,70,000/- (ग्यारह लाख सतर हजार) रू0 के भुगतान का साक्ष्य कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

निविदा दस्तावेज की कंडिका 20(i)(ii)(iii)(iv)(v) के आलोक में जिलान्तर्गत BLOCK-28 (BARGAON SAND GHAT) के सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त एवं बंधन निम्नलिखित हैं :-

1. BLOCK-28 (BARGAON SAND GHAT) से संबंधित विवरणी निम्नवत है :-

क्र.	नदी का नाम	रकवा (हेक्टेयर में)	Geo CO-ORDINARE			
			A	B	C	D
1	घनार्जय (Non-Perennial)	52.00	24°40'42.49"N 85°28'11.56"E	24°40'45.17"N 85°28'14.51"E	24°41'40.79"N 85°26'35.06"E	24°41'43.20"N 85°26'36.76"E
2	वन क्षेत्र से दूरी		6.85 km			
3	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभयारण्य क्षेत्र/पक्षी अभयारण्य/वन्य जीव आश्रयण क्षेत्र से दूरी		लागू नहीं।			
4	बालूघाट/बालूखण्ड से 500 मीटर के अन्दर खनन पट्टा क्षेत्र की स्थिति		लागू नहीं।			
5	पुरातात्विक स्थल से दूरी		लागू नहीं			
6	खनन योग्य गात्रा		624000 घनमीटर			

MURALI MANAS P
CI-Nabet Qualified Person

वास्ते हंस इंधन केन्द्र

Scanned with CamScanner

प्रोपराईटर

2. भुगतान की शर्तें :-

- नीलामी-राशि केवल प्रथम वर्ष के लिए बंदोबस्ती की राशि मानी जाएगी। दूसरे वर्ष और उसके अनुक्रमी वर्षों में बंदोबस्ती की राशि गत वर्ष की बंदोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत अथवा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित निदेशों के अनुरूप होगा।
- प्रतिभूति जमा के अतिरिक्त आपको निम्नलिखित समय सारणी/भुगतान अनुसूची के अनुसार बंदोबस्ती की राशि का भुगतान करना होगा :-

किस्त	भुगतान की नियत तारीख
प्रथम किस्त (50%)	(क) पट्टा संविदा निष्पादन से पहले (पहले वर्ष के लिए) (ख) प्रथम वर्ष में पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के 60 दिन पूर्व और अनुक्रमिक वर्षों में इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जमा किया जायेगा।
द्वितीय किस्त (25%)	पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से 03 महीना पूरा होने से पहले।
तृतीय किस्त (25%)	पट्टा संविदा-निष्पादन की तिथि से 06 महीना पूरा होने से पहले।

3. **GST का भुगतान :-** जी0एस0टी0 के रूप में प्रचलित दर के अनुसार राशि वाणिज्य कर विभाग को भुगतान करना होगा। जिला खनन कार्यालय, नवादा में जी0एस0टी0 भुगतान का प्रमाण प्रत्येक किस्त के साथ देना होगा।

4. **आयकर/अन्य करों का भुगतान :-** आयकर अधिनियम के तहत आयकर एवं उस पर नियमानुसार देय अधिभार का भुगतान आयकर विभाग के प्रचलित दर के अनुसार एक मुश्त करना होगा। यह राशि बंदोबस्ती राशि के प्रत्येक किस्त के साथ देय होगी। जिला खनन कार्यालय, नवादा द्वारा यह राशि आयकर मद में जमा करा दी जायेगी।

5. **जिला खनिज फाउण्डेशन :-** जिला खनिज फाउण्डेशन नियमावली, 2018 के अनुसार बंदोबस्ती राशि की 2 प्रतिशत राशि जिला खनिज फाउण्डेशन, नवादा के नाम भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा।

6. **वैधानिक अनापत्ति :-** बालूघाट संचालन हेतु आवश्यक समस्त वैधानिक अनापत्ति/अनुमति यथा:- खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति, जल एवं वायु सहमति आदि आपके द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश (LOI) निर्गत तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर प्राप्त करना सुनिश्चित करना। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही बालू खनन प्रारंभ किये जाने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जा सकेगा। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति निम्नानुसार है:-

i. **खनन योजना:-** खनन योजना प्रभावी नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा QCINABET से मान्यता प्राप्त Professional RQP से तैयार कर निदेशक, खान या विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष लेटर ऑफ इंटेंट निर्गत होने से 30 दिनों के अन्दर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। खनन योजना बनाने पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित खनिज डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा किया जायेगा। साथ ही खनन योजना की जाँच हेतु समाहर्ता/विभाग अन्य ऐजेंसी चयनित कर सकेगा, जिसका निर्धारित फीस/खर्च भी बंदोबस्तधारी को ही वहन करना होगा। सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी खनन योजना के अनुसार खनन करना सुनिश्चित करेगा।

ii. **पर्यावरणीय स्वीकृति:-** सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी खनन योजना अनुमोदन के 15 दिनों के अन्दर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम प्राधिकार के समक्ष पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के लिए प्रस्ताव समर्पित करेगा। समयबद्ध रीति से पर्यावरणीय एवं अन्य वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करना सफल डाकवक्ता की जिम्मेवारी होगी। अपेक्षित पर्यावरणीय स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की देरी के लिए सफल डाकवक्ता स्वयं जिम्मेवार होंगे एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

MURALI MANAS P

P. Manas P.

QCI-Nabet Qualified Person

वास्ते हंस ईधन केन्द्र

Scanned with CamScanner

21/5/21

- (ix) नीलामी हेतु प्रस्तावित बालूघाटों से संबंधित तकनीकी तथा अन्य बिन्दुओं यथा भूमि के अंचल, थाना, मौजा, खाता, खेसरा, रकबा तथा GPS Co-ordinate के संबंध में विवाद/त्रुटि पाए जाने पर संशोधन का अधिकार संबंधित जिला खनन कार्यालय का होगा। बालूघाटों का सीमांकन एवं नियमानुसार निर्धारित आयाग/विशिष्टियों का रीमा स्तंभ का अधिष्ठापन GPS Co-ordinate के अनुसार बालू बंदोबस्तधारी को कराना होगा तथा खनन के क्रम में संधारित कराना सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी की जवाबदेही होगी, जिसे RQP/अंचलाधिकारी की उपस्थिति में प्रमाणित कराकर खनन कार्य कराना होगा। बालूघाटों के निर्धारित क्षेत्र का Reduced Level (RL)/Pre-Level (PL) एवं Satellite images मानसून के पूर्व एवं बाद का समर्पित करना होगा।
- (x) बालूघाट से लिक रोड और बालूघाट के बीच कोई प्राकृतिक जल मार्ग, सिचाई नहर पड़ती हो तो सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी जल ससांधन विभाग की पूर्व अनुमति से अस्थायी संरचनाएँ खड़ा कर सकेगा। पूर्व अनुमति के लिए ऐरो आवदेन जल ससांधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता के समक्ष दिए जाएंगे।
- (xi) बालूघाट में रैयती/बंदोबस्त जमीन होने पर संबंधित रैयत से सहमति प्राप्त कर बालू का खनन करना होगा। यह जिम्मेदारी पूर्णतः बंदोबस्तधारी की होगी एवं विभाग से कोई क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
- (xii) बंदोबस्तधारी द्वारा बंदोबस्ती अवधि के दौरान किसी भी कारण से खनन कार्य नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का मुआवजा/नुकसान एवं क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
- (xiii) ई-नीलामी एवं बालूघाट की बंदोबस्ती अवधि के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार का विवाद बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित) के अधीन होगा।
- (xiv) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई कोई भी सूचना/निदेश /आदेश इत्यादि IT Act के तहत स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में माना जायेगा।

खनिज विकास अधिकारी,
नवादा।



MURALI MANAS P

Label Qualified Person

वास्ते हंस ईधन केंद्र

21/5/21